INDIA
भारत पाँच रुपये
FIVE RUPEES
दस रुपये
TEN RUPEES

GF B18 - 2

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश, ग्वालियर

प्र0क्र0 .... /2001 पुनरीक्षण - 2064-II/2001

प्र0क्र0 .... अभि0 .... द्वारा आज दि0 29-10-2001 को प्रस्तुत। अवर सचिव राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर 29 OCT 2001

1- देवलाल
2- हरिमोहन
} पुत्रगण लोहड्या मीना
निवासीगण ग्राम प्रेमसर तहसील एवं जिला श्योपुर -------- आवेदकगण

विरुद्ध

1- मुस0 केशर बाई पुत्री स्व0 कान्हा पत्नी स्व0 हीरालाल मीना निवासी ग्राम प्रेमसर हाल निवासी ग्राम विचगांवड़ी तहसील एवं जिला श्योपुर

2- मुस0 रूपा पुत्री कान्हा पत्नी बीरबल मीना निवासी ग्राम प्रेमसर हाल निवासी ग्राम इन्द्रपुरा तहसील एवं जिला श्योपुर

3- मुस0 सन्तरा पुत्री कान्हा पत्नी मांगीलाल मीना निवासी ग्राम प्रेमसर हाल निवासी ग्राम बरोद तहसील एवं जिला श्योपुर

------- अनावेदकगण

29-10-2001

अपर आयुक्त चम्बल संभाग द्वारा प्र0क्र0 220/2000-2001 अपील में पारित आदेश दिनांक 29-9-2001 के विरुद्ध पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959

महोदय,

आवेदकगण निम्नलिखित आधारों पर पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करते हैं :-

(1) यह कि अपर आयुक्त महोदय का विवादित आदेश अवैध, अनुचित एवं मनमाना होकर निरस्त किये जाने योग्य है।

2/

न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 2064-दो/2001 - विरूद्ध आदेश दिनांक 29-9-2001 - पारित द्वारा - अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना - प्रकरण क्रमांक 220/2000-01 निगरानी

1- देवलाल 2- हरिमोहन पुत्रगण लोहड़या
ग्राम प्रेमसर तहसील एंव जिला श्योपुर ---आवेदकगण

विरूद्ध

1- मुस0केशरवाई पुत्री स्व.कान्हा पत्नि
स्व.हीरालाल मीना ग्राम प्रेमसर
हाल ग्राम विचगांवड़ी तहसील श्योपुर
2- मुस0रूपा (मृतक)पुत्री कान्हा पत्नि बीरवल
वरिसान
(अ) मलखान (ब) फूलचंद (स) धनजीत
पुत्रगण बीरबल मीना ग्राम प्रेमसर
हाल ग्राम इन्द्रपुरा तहसील श्योपुर
3- मुस0सन्तरा पुत्री कान्हा पत्नि मांगीलाल
ग्राम प्रेमसर हाल ग्राम बरोद तहसील श्योपुर---अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री एस0के0बाजपेयी)
(आवेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 14-12-2015 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 220/2000-01 अपील में पारित आदेश दिनांक 29-9-2001 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि तहसीलदार श्योपुर के समक्ष आवेदकगण ने मॉग पत्र प्रस्तुत किया कि ग्राम प्रेमसर स्थित भूमि सर्वे नंबर 341 रकबा 3 वीघा 17 विसवा, सर्वे नंबर 427 रकबा 6 वीघा 5 विसवा, सर्वे नंबर 437 रकबा 4 वीघा 6 विसवा, सर्वे नंबर 466 रकबा 12 वीघा 6 विसवा एंव सर्वे नंबर 594 रकबा 7 विसवा (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि अंकित किया गया है) की भूमिस्वामी अनावेदिका कमांक 1 से 3 हैं किन्तु इस भूमि पर आवेदकगण का ही कब्जा चला आ रहा है एंव खेती करते आ रहे हैं। अनावेदिकाओं ने माननीय व्यवहार न्यायालय में भी वाद लगाया था जिसमें आवेदकगण का 30 साल का कब्जा होना माना है इसलिये वादग्रस्त भूमि पर कब्जा अंकित किया जावे। तहसीलदार श्योपुर ने प्रकरण कमांक 19/1997-98 अ 6 अ दर्ज किया तथा सुनवाई कर आदेश दिनांक 9-5-2000 से आवेदकगण का कब्जा दर्ज करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर के समक्ष अपील कमांक 57/99-2000 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनाक 30-5-2001 से अपील निरस्त की गई। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील कमांक 220/2000-01 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 29-9-2001 से अपील स्वीकार कर तहसीलदार श्योपुर का आदेश दिनांक 9-5-2000 एंव अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर का आदेश दिनाक 30-5-2001 निरस्त किये गये। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय किया गया है।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक के तर्को पर मनन् करने एंव उपलब्ध अभिलेख के परिशीलन से यह तथ्य स्वतः स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि की रिकार्डेड भूमिस्वामी अनावेदकगण है। तहसीलदार श्योपुर के प्रकरण क्रमांक 19/1997-98 अ 6 अ में पारित आदेश दिनांक 9-5-2000 के अवलोकन से स्थिति यह है कि उन्होंने मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 121 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर अनावेदकगण की भूमि पर आवेदकगण का कब्जा दर्ज करने के आदेश दिये है। विचार योग्य है कि क्या मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 121 के अंतर्गत किसी भूमिस्वामी की भूमि पर किसी अन्य कृषक का कब्जा दर्ज किया जा सकता है ? इस धारा के अंतर्गत भू अभिलेखों के लिये बनाने, अद्यतन रखने की कार्यवाही की जाती है एंव पटवारी व्दारा मौके पर गिरदावरी के समय तैयार किये गये भू अभिलेख में यदि किसी प्रकार की लिपिकीय त्रृटि हो जाती है, तब ऐसी त्रृटि को मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 115 सहपठित 116 के अंतर्गत तहसीलदार दुरूस्त कर सकते हैं अर्थात किसी भूमिस्वामी की भूमि पर किसी अन्य कृषक का कब्जा इन धाराओं में दर्ज नहीं किया जा सकता और ऐसा कब्जा दर्ज करने की शक्तियॉ तहसीलदार को नहीं हैं, परन्तु तहसीलदार श्योपुर ने प्रकरण क्रमांक 19/1997-98 अ 6 अ में पारित आदेश दिनांक 9-5-2000 से अनावेदकगण की भूमि पर आवेदकगण का कब्जा दर्ज करने के आदेश पारित करने त्रृटि की है और अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर ने आदेश दिनाक 30-5-2001 पारित करते समय उक्त तथ्यों को नजरन्दाज किया है जिसके कारण विद्वान अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना ने प्रकरण क्रमांक 220/2000-01 अपील में पारित आदेश दिनांक 29-9-2001

से दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को निरस्त किये हैं जिसमें किसी प्रकार का दोष नजर नहीं आता है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 220/2000-01 अपील में पारित आदेश दिनांक 29-9-2001 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर